विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-09/2023

श्री सुभाष मोहन पाण्डेय, — आवेदक
पाण्डेय फ्यूल, हमलापुर,
सुभाष वार्ड, बैतूल (म.प्र.) — 460001

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) शहर संभाग, (दक्षिण) — अनावेदक
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बैतुल (म0प्र0) — 460001

आदेश

(दिनांक 27.10.2023 को पारित)

01. आवेदक श्री सुभाष मोहन पाण्डेय, पाण्डेय फ्यूल, हमलापुर, सुभाष वार्ड, बैतूल (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 11.09.2023 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल — ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण प्रकरण क्रमांक बी.टी. 08/2023 आदेश दिनांक 28.07.2023 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 12.09.2023 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00—09/2023 पर दर्ज की गई है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

''निवेदन है कि फोरम का पत्र क्रमांक 237 दिनांक 07.08.2023 में फोरम का निर्णय दिनांक 28.07.2023 के संबंध में उपमहाप्रबंधक (स/स) शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., बैतूल को कार्यवाही हेतु लेख किया गया था, हमारे द्वारा पत्रों के माध्यम से सहायक प्रबंधक, प्रबंधक को फोरम के निर्णय से अवगत कराते हुये कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु 45 दिन पूर्ण होने पर भी नवीन संयोजन नहीं किया गया ।

फोरम के आदेश में कार्यवाही न करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के अंतर्गत कार्यवाही करना प्रस्तावित है ।

अतः आपसे निवेदन है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 अंतर्गत प्रबंधक श्री हाकम सिंह बाथम, सहायक प्रबंधक सिद्धार्थ यदु उपमहाप्रबंधक श्री भूपेन्द्र सिंह बघेल पर कार्यवाही करते हुये मुझे जो आर्थिक हानि व्यक्तिगत रूप से पहुंचाई गयी है, उसकी क्षतिपूर्ति की राशि दिलाई जाये । साथ ही दिनांक 11.09.2023 को अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल को दिये गये पत्र की छायाप्रति संलग्न है साथ ही फोरम का निर्णय दिनांक 28.07.2023 पत्र के साथ संलग्न है शेष पत्र एवं दस्तावेज आगे प्रस्तुत किये जायेगें ।''

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–09/2023 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 27.09.2023 को नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 27.09.2023 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री योगेश कुमार मालवीय, मैनेजर तथा श्री चन्द्रशेखर गुजराती, असिस्टेंट ग्रेड 3 उपस्थित ।

आज सुनवाई दिनांक को आवेदक की ओर से दूरभाष पर जानकारी दी गई कि आवेदक की माताश्री की अचानक तबियत खराब हो गई, इस कारण वे सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ हैं । साथ ही आवेदक द्वारा उक्त सुनवाई हेतु नई दिनांक नियत किए जाने हेतु निवेदन किया।

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री योगेश कुमार मालवीय, मैनेजर द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकार्ड में लिया गया । प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

''विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल महोदय भोपाल के समक्ष प्रकरण क्रमांक एल.00–09/2023 आपके समक्ष प्रस्तुत की है, प्रकरण के संबंध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है:–

माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल द्वारा आवेदक श्री सुभाष मोहन पाण्डेय के प्रकरण क्रमांक बी.टी 08/2023 के संबंध में दिनांक 28.07.2023 को आदेश पारित किया गया है जो कि पत्र क्रमांक 238 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है एवं उक्त पत्र दिनांक 04.09.2023 को संभागीय कार्यालय को डाक द्वारा प्राप्त हुआ । जिसमें फोरम द्वारा आदेश पारित किया गया है कि ''आवेदक के हमलापुर स्थित परिसर में पाण्डे

फ़्यूल के नाम से नवीन विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु किये गये आवेदन पर नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुये कार्यवाही करें ।''

माननीय फोरम के आदेश के पालनार्थ उपभोक्ता से समस्त नवीन कनेक्शन संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त उपभोक्ता को राशि 61199/— रूपये का मांग पत्र भुगतान हेतु दिनांक 22.09.2023 को प्रदान किया गया जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा दिनांक 23.09.2023 को किया गया जिसका भुगतान विवरण zici-14101115671 दिनांक 23.09.2023 है। आवेदक को दिनांक 26.09.2023 को स्वयं की उपस्थिति में विद्युत संयोजन प्रदान कर दिया गया है एवं माननीय फोरम के आदेश का पालन प्रतिवेदन दिनांक 26.09.2023 को प्रेषित किया गया है ।

अतः माननीय विद्युत लोकपाल महोदय से निवेदन है कि कम्पनी द्वारा माननीय फोरम के आदेश का पालन कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया है । अतः प्रकरण में अपील निरस्त करने की कृपा करें ।''

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री योगेश कुमार मालवीय, मैनेजर द्वारा प्रकरण से संबंधित मौखिक जानकारी दी गई, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री योगेश कुमार मालवीय, मैनेजर द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय फोरम के आदेश का पालन करते हुए विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया है एवं अब हमें इस प्रकरण में कोई ओर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है ।

आवेदक के निवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में एक अन्तिम सुनवाई दिनांक 16.10.2023 नियत की गई ।

❖ आज सुनवाई दिनांक 16.10..2023 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक की पत्नी द्वारा दूरभाष पर जानकारी दी गई कि आवेदक की अचानक तबियत खराब हो गई, इस कारण वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे । उनके द्वारा निवेदन किया गया कि सुनवाई हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाए ।

आवेदक के निवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में एक अन्तिम अवसर देते हुए अन्तिम सुनवाई दिनांक 26.10.2023 नियत की जाती है ।

❖ आज सुनवाई दिनांक 26.10..2023 को आवेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री विभोर पाण्डेय उपस्थित । सुनवाई के दौरान उनके द्वारा मौखिक कथन किए गए साथ ही उनके द्वारा लिखित दस्तावेज दिया गया, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

आवेदक द्वारा जानकारी दी गई कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उन्हें कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है । साथ ही उनके द्वारा निवेदन किया गया कि उनका कनेक्शन काफी समय बाद लगा है, जिस हेतु हमें क्षतिपूर्ति दिलाई जाए । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा कथन किया गया कि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनो/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है:-

1. अपीलार्थी ने अनावेदक से पाण्डेय फ्यूल बैतूल हेतु एक गैर घरेलू कनेक्शन की मांग की थी ।
2. अनावेदक ने अपीलार्थी सुभाष मोहन पाण्डेय के अन्य कनेक्शन में इति बायोटेक पर बकाया राशि रूपये 8,28,621/- होने के कारण भुगतान करने पर कनेक्शन दिया जा सकता है ऐसी व्यवस्था दी थी ।
3. इस दौरान अपीलार्थी बिजली चोरी करते हुये भी पाया गया ऐसा अनावेदक का कथन है एवं प्रकरण बनाया है ।
4. अनावेदक ने अपीलार्थी के बकाया राशि वाले परिसर की भूराजस्व संहिता की धारा 146 के तहत कुर्की कर अपने आधिपत्य में ले लिया है ।
5. इसके उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने पर अपीलार्थी फोरम के समक्ष प्रस्तुत हुआ ।
6. विद्वान फोरम ने विवेचना उपरान्त यह निर्णय दिया कि चूँकि बकाया राशि की वसूली हेतु कुर्की की जा चुकी है अतः कनेक्शन दिया जाये ।
7. अनावेदक ने दिनांक 26.09.2023 को कनेक्शन प्रदान कर दिया है जिसे अपीलार्थी ने स्वीकार किया है।

8. अपीलार्थी ने यह भी मांग की है कि उसे देरी से कनेक्शन दिये जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाये ।

05. उभयपक्षों द्वारा किये गये कथनो तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

1. अनावेदक ने अपीलार्थी के स्वयं के अन्य परिसर पर बडी बकाया राशि होने के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं दिया था ।

2. यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी लगातार विद्युत बिल की अपेक्षा का दोषी है जिसके कारण बकाया राशि बढ़कर रूपये 8,28,621/– हो गयी साथ ही उसके परिसर में बिजली चोरी होना भी पाया गया है अतः नियमों का उल्लघन करने का आदि है ।

3. कुर्की उपरान्त फोरम के आदेश पर कुछ विलंब के साथ अनादेवक ने अपीलार्थी को कनेक्शन प्रदान कर दिया है ।

4. बिलंब से कनेक्शन देने के कारण क्षतिपूर्ति की मांग न्याय संगत नहीं है क्योकि इसका मुख्य कारण अपीलार्थी स्वयं हैं क्योंकि उसने लगातार बिद्युत बिल की राशि नहीं भरी एवं उस पर बिजली चोरी का भी आरोप है ।

06. प्रकरण में की गयी उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षो के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

1. अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।
2. अपीलार्थी को नवीन कनेक्शन प्राप्त हो चुका है अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है ।
3. अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह विद्युत बिलों का समय पर भुगतान करें ताकि ऐसी स्थिति भविष्य मे ंनिर्मित नहीं हो ।
4. अनावेदक को भी निर्देशित किया जाता है कि आदेशों पर भविष्य मे ंसमय पर पालन सुनिश्चित करें ।

07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल